Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 08/01/2020

File No. VS/7/2018/STGBH/DELAAL/RU-III

सेवा में,

जिला कलेक्टर,
जिला छपरा,
(बिहार)

विषयः दिनांक 11–12–2019 को श्री हर्षद भाई चुनिलाला वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जिला छपरा (बिहार) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर जिला छपरा (बिहार) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिनांक **11–12–2019** को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री वकील साह पुत्र श्री स्व. फुलेना साह,
   ग्राम घोघियां, पो. व थाना मशरख,
   जिला सारण, छपरा (बिहार)
2. एस.ए.एस. एन.आई.सी. एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- VS/7/2018/STGBH/DELAAL/RU-III)

श्री वकील साह, ग्राम- घोघियां, पोस्ट व थाना- मशरख, जिला- सारण (छपरा) बिहार के अवैध रूप से जाली कागजात बनाकर जमीन पर मालिकाना दावेदारी करने के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य महोदय श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 11.12.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री वकील साह, ग्राम- घोघियां, पोस्ट व थाना- मशरख, जिला- सारण (छपरा) बिहार ने अवैध रूप से जाली कागजात बनाकर जमीन पर मालिकाना दावेदारी करने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आवेदन दिया था। प्रकरण में आयोग के माननीय सदस्य श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2019 को बैठक आहूत की गई। बैठक के संबंध में दिनांक 22.11.2019 को जिला कलेक्टर को नोटिस भेजा गया था।
2. दिनांक 11.12.2019 को आहूत बैठक में सारण जिला कलेक्टर की ओर से श्री जितेंद्र कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उपस्थित हुए।
3. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कुछ जमीन गांव के ही श्री लक्ष्मण सिंह के पास गिरवी रखी थी। इसके बाद उनके द्वारा कुछ नगद राशि व बाकी राशि चेक के माध्यम से श्री लक्ष्मण सिंह को वापस कर दी गई। अपनी जमीन पर कब्जा मांगने पर उन्हें कब्जा नहीं दिया गया तथा फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनकी जमीन को उक्त व्यक्ति ने अपने नाम करा लिया। गिरवी जमीन को वापस पाने के लिए दी गई राशि भी लक्ष्मण सिंह ने नहीं लौटाई। उन्होंने मांग की कि उन्हें उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा दिलाई जाए।
4. सारण जिला कलेक्टर की ओर से उपस्थित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि प्रकरण की जांच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कराई गई है। उनके द्वारा पत्रांक 780/सी दिनांक 05.12.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसके अनुसार यह मामला जमीन के गलत तरीके से दाखिल-खारिज से संबंधित है। अगर दाखिल-खारिज

National Commission for Scheduled Tribes

गलत तरीके से हुआ है तो आवेदक बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा 7 के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहां अपील दायर कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बिक्री गलत तरीके से हुई है तो इसके लिए वे व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

5. आयोग को यह ज्ञात हुआ कि जिला कलेक्टर की ओर से बैठक में उपस्थित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को भूमि संबंधी मामलों की जानकारी नहीं है साथ ही वे किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है।

6. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की :-

   - पुलिस अधीक्षक प्रकरण में आवेदक के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जांच कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
   - प्रकरण में आयोग में होनेवाली अगली बैठक में जिला कलेक्टर का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

हर्षदभाई [illegible]/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
न[illegible]/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- VS/7/2018/STGBH/DELAAL/RU-III)

श्री वकील साह, ग्राम- घोघियां, पोस्ट व थाना- मशरख, जिला- सारण (छपरा) बिहार ने अवैध रूप से जाली कागजात बनाकर जमीन पर मालिकाना दावेदारी करने के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य महोदय श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची -

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा,	माननीय सदस्य
(2.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(3.)	श्री आर. के. दुबे,	स. निदेशक
(4.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **जिला समाहरणालय, सारण (छपरा) के अधिकारी**

(1.)	श्री जितेंद्र कुमार,	प्रखंड कल्याण अधिकारी

- **अभ्यावेदक**

  श्री वकील साह